

कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी जनपद उद्धम सिंह नगर।
ईमेल—cfoudn.ukfs@gmail.com, **फोन नं०—०५९४४—२४००७१**

पत्रांक: क्रमांक—१२१ / न-३ / एफ०एस० / ऑनलाईन / २०२२

दिनांक जुलाई ३०, २०२२।

स्वामी/प्रबन्धक
मै० कॉन्फ्लूवेन्स वर्ल्ड स्कूल
०६ के०एम० माइल स्टोन एनएच ७४ रुद्रपुर,
उद्धम सिंह नगर।

विषय :- अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र के नवीनीकरण के सम्बन्ध में।

आपके प्रार्थनापत्र यूआईडी नं०—२३२९१८९९ दिनांक १७-०७-२०२२ के अनुसार मै० कॉन्फ्लूवेन्स वर्ल्ड स्कूल ०६ के०एम० माइल स्टोन एनएच ७४ रुद्रपुर उद्धम सिंह नगर की अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण प्रभारी अग्निशमन अधिकारी रुद्रपुर द्वारा किया गया। प्रभारी अग्निशमन अधिकारी रुद्रपुर की निरीक्षण आख्या के अनुसार स्थापित अग्निशमन यन्त्र कार्यशील दशा में हैं। उपकरणों का निर्धारित परीक्षण शुल्क राजकोष में जमा करा दिया गया है।

निर्देशित किया जाता है कि संस्थान के सभागार में ९० दिवस के भीतर मानकानुसार २५ हजार ली० क्षमता का टैरेस टैक, ९०० ली० प्रतिमिनट क्षमता का टैरेस पम्प, डाउनकमर, मानकानुसार हॉजरील्स व मैनुवली आपरेटेड इलैक्ट्रोनिक फायर अलर्टम सिस्टम का प्राविधान कर इस कार्यालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा यह अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा, साथ ही अग्निशमन उपकरणों को सदैव कार्यशील दशा में रखेंगे। संस्थान के विस्तार/अतिरिक्त किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन किया जाता है, तो अग्निशमन सुरक्षा प्रमाण पत्र नये सिरे से लिया जाना अनिवार्य है, साथ ही अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त संस्थान को प्रत्येक ०६ माह में भवन अवधार परिसर में अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र उपकरणों की स्थिति संतोषजनक एवं कार्यशील होने का स्व-घोषणा पत्र/Self Audit Report इस कार्यालय को प्रस्तुत/अपलोड करना अनिवार्य होगा। प्रत्येक ०३ वर्ष में अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र नवीनीकृत नहीं कराये जाने की दशा में यह अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जाएगा।

अतः मै० कॉन्फ्लूवेन्स वर्ल्ड स्कूल ०६ के०एम० माइल स्टोन एनएच ७४ रुद्रपुर, उद्धम सिंह नगर को अग्निशमन सुरक्षा संबंधी अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक २५ जुलाई २०२२ से २४ जुलाई २०२५ तक इस आधार पर प्रदान किया जाता है कि निम्न शर्तों का पालन किया जाना आवश्यक होगा:-

- १ सभी बाहर निकलने या बचाव के रास्ते, सैटैक तथा सीढ़ियां प्रत्येक दशा में अवरोध मुक्त रखी जाय।
- २ आपके संस्थान के सभी कर्मचारियों को उपलब्ध अग्निशमन यन्त्रों का तथा सुरक्षित निष्क्रमण प्रक्रिया (Evacuation) का ज्ञान होना आवश्यक है।
- ३ सभी अग्निशमन यन्त्रों को कार्यशील दशा में रखने की जिम्मेदारी प्रबन्धन की होगी। अतिरिक्त अग्निशमन यन्त्रों की स्थापना का अर्थ यह नहीं लगाया जाय कि अग्निकाण्ड की घटना नहीं हो सकती। अतः प्रबन्धन को अग्निरोधक उपाय सदैव करते रहना चाहिए।
- ४ भवन/संस्थान में विद्युत यन्त्रों की स्थापना, वैटीलेशन, स्ट्रक्चर, स्टेविलिटी, सैट बैक एरिया व निर्माण, Land Use Change में बदलाव आदि का सत्यापन संबंधित अधिकारी से कराया जाय।
- ५ संस्थान के विस्तार/अतिरिक्त निर्माण करने से पूर्व इस कार्यालय से मानचित्र अनुमोदित करवाकर मानक के अनुसार अतिरिक्त अग्निशमन व्यवस्था की जानी आवश्यक होगी।
- ६ विद्युत स्विच होर्ड/विद्युत ऐनल के आस-पास किसी भी प्रकार की ज्वलनशील सामग्री का भण्डारण नहीं किया जाएगा, भण्डारण किये जाने पर यह प्रबन्धन की लापरवाही मानी जाएगी तथा भविष्य में अग्निदुर्घटना घटित होने पर बीमा दावे हेतु संस्तुति नहीं की जाएगी।
- ७ विद्यालय में कम्प्यूटर एवं अन्य लैब संचालित होने पर कम्प्यूटर लैब में एक अदद सीओटू एक्सटिंग्यूशर क्षमता ९.५ किग्रा, अन्य लैब में एक अदद एबीसी फायर एक्सटिंग्यूशर क्षमता १० किग्रा मय ०४ अदद सैण्ड बकेट तथा जनरेटर के पास एक अदद एबीसी फायर एक्सटिंग्यूशर क्षमता १० किग्रा मय ०४ अदद सैण्ड बकेट के स्थापित किया जाना अनिवार्य होगा।



वंशा बहुत अच्छा अग्निशमन
मुख्य अधिकारी अग्निशमन
उद्धम सिंह नगर